न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2024 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती छगनी पत्नी देवा जी कुम्हार, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. बाबूलाल पिता देवा जी कुम्हार, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामेश्वर पिता रोशनलाल जी चौधरी, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुखलाल पिता वरदा जी कुम्हार, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि0 08–11–2023 प्रकरण संख्या 131/22

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय दिनांक 10–07–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 6466, 6467, 6808/6466 कुल किता 3 रकबा 0.9400 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम गोगुन्दा में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा निहित होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

विधिवत विभाजन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलम अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतिदावा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 08–11–2023 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–12–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में वाद व प्रतिदावे के आधार पर तनकियां कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियां कायम किये निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अपील अबेट हो जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 2 बाबूलाल का देहावसान दिनांक 20–02–2024 को हो गया, जिसे 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है, जिसकी नामकायमी अभी तक नहीं कराये जाने से सम्पूर्ण अपील अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अबेट हो जाने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट संख्या 2 बाबूलाल का देहावसान दिनांक 20—02—2024 को हो का कथन करते हुए अपील अबेट के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है एवं अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 386 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार सी.पी.सी. 1908 आदेश 22 नियम 3 और धारा 4 धारा 100 के तहत अपील का उपशमन मृत्यु की तारीख से 90 दिवस की समाप्ति पर अपील स्वतः समाप्त हो जाती है यदि मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इस प्रकरण में भी अपीलान्ट संख्या 2 बाबूलाल का देहावसान दिनांक 20—02—2024 को हो जाना अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा नामकायमी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09—07—2024 को अर्थात करीब 150 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इसके लिए जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उन्हें प्रकरण के संबंध में जानकारी नहीं थी तथा उनके अधिवक्ता द्वारा पेशी की इत्तिला देने पर उन्हें प्रकरण की जानकारी हुई, उचित एवं विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। उक्त न्यायिक नजीर अनुसार नामकायमी का आवेदन 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपील स्वतः अबेट हो जाने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अबेट हो जाने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08—11—2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10—07—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती छगनी पत्नी देवा जी कुम्हार, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

रामेश्वर पिता रोशनलाल जी चौधरी, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......01/2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गोगुन्दा........... मुकाम................मुवर्खे.............08..............माह..............11............2023

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........10....माह........07....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री मनीष शर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व............ श्री संजय बोहरा ....

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अबेट हो जाने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–11–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......10.......माह.......07..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested